भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1853

03 मार्च, 2020 के लिए प्रश्न

वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना

1853. श्री शान्तनु ठाकुर:

श्री नारणभाई काछड़िया:

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल:

श्री प्रदीप कुमार सिंह:

श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:

श्रीमती गीताबेन वी० राठवा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' देश के लोगों के लिए किस प्रकार फायदेमंद होने की संभावना है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत फर्जी कार्ड धारकों की पहचान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत लोगों को उपलब्ध कराई जाने वाली विशेष सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा किस प्रकार उन दुर्गम क्षेत्रों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित किए जाने की संभावना है, जहां नेटवर्क उपलब्ध नहीं है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क): यह विभाग "सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन" संबंधी स्कीम के अधीन 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड ' योजना के जरिए राशन कार्ड धारकों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी क्रियान्वित कर रहा है, जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन कवर किया गया कोई भी पात्र राशन कार्ड धारक/लाभार्थी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उचित दर दुकानों पर स्थापित इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ सेल उपकरणों पर बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणन के बाद अपने मौजूदा/उसी राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी अपनी पसंद की किसी भी उचित दर दुकान से अपनी पात्रता के खाद्यान्नों का उठान कर सकेगा।

.....2/-

(ख): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन कवर किए गए सभी राशन कार्डों/लाभार्थियों की एक केन्द्रीय रिपोजिटरी राष्ट्रीय डि-डुप्लीकेशन और इसके परिणाम आवश्यक कार्रवाई/फील्ड सत्यापन के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के साथ साझा करने के लिए स्थापित की गई है।

(ग): देश में प्रवासी लाभार्थी अपने उसी/मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी अपनी पसंद की किसी भी उचित दर दुकान से अपनी पात्रता के खाद्यान्नों का उठान कर सकेंगे।

(घ): राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा केवल उन राशन कार्ड धारकों के लिए लागू है जो इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ सेल उपकरण के जरिए ऑनलाइन प्रणाली आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणन के बाद खाद्यान्न ले रहे हैं। अन्य शेष लाभार्थी अपने गृह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उनसे संबंधित उचित दर दुकानों से अपने खाद्यान्न ले सकते हैं।

******